(वाद सं0– 7758/4/5/2021)

07.12.2023

प्रसंगाधीन मामला मौजा–बिरनोध, खाता संख्या–317, खेसरा संख्या–856, रकबा–3.85 डी0 वाले बिहार सरकार के सार्वजनिक रास्ते के जमीन को अतिक्रमण मुक्त किये जाने से सम्बन्धित है।

उक्त पर जिला पदाधिकारी, भागलपुर से प्रतिवेदन की मांग की गई। जिला पदाधिकारी, भागलपुर के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, भागलपुर व अंचलाधिकारी, गोराडीह के प्रतिवेदनानुसार **''मौजा–गोराडी, थाना संख्या–457, खाता संख्या–317, खेसरा संख्या–856, रकबा–2.74 एकड़ का खतियान गैर मजरूआ सर्वसाधारण के नाम से दर्ज है तथा किस्म जमीन रास्ता है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, भागलपुर का अपने प्रतिवेदन में कथन है कि अंचलाधिकारी, गोराडीह द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अंचल अमीन, राजस्व कर्मचारी व प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी की मौजूदगी में पुलिस बल एवं महिला पुलिस बल की सहायता से उपरोक्त अतिक्रमित रास्ते को पूर्णतः मुक्त करा दिया गया है।''**

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गई। आज राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित परिवादी, रणजीत साह, द्वारा स्थल का 02 छायांचित्र प्रस्तुत कर, कहा जा रहा है कि अंचलाधिकारी, गोराडीह द्वारा अतिक्रमित भूमि/रास्तें को आंशिक रूप से अतिक्रमण मुक्त कर मलबा को रोड पर ही छोड़ दिया गया है, जिससे रास्ता पूर्णरूपेण बाधित है। परिवादी का कथन है कि अभी भी अतिक्रमित भूमि पर अवैध रूप से निर्मित दीवार को तोड़ा नहीं गया है।

उपरोक्त पर पुनः जिला पदाधिकारी, भागलपुर से प्रत्युत्तर की माँग की गयी। जिला पदाधिकारी, भागलपुर के प्रतिवेदन

के साथ अनुलग्नित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, भागलपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **''अंचलाधिकारी, गोराडीह के द्वारा परिवादी, रंजीत साह, के परिवाद पत्र के आलोक में अतिक्रमित भूमि की दीवार को हटाकर अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है और मलबा भी हटा दिया गया है। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेखित किया गया है कि परिवादी, रंजीत साह ने लिखित रूप से आवेदन दिया है कि उसे अब किसी प्रकार की शिकायत नहीं है।''**

जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा अपने प्रतिवेदन के साथ परिवादी, रंजीत साह का लिखित आवेदन, अंचल अमीन का मापी प्रतिवेदन और फोटो प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित कर राज्य आयोग को समर्पित किया गया है।

अब जबकि प्रसंगाधीन मामले में परिवादी की शिकायत का सक्षम प्राधिकार द्वारा संतोषजनक समाधान किया जा चुका है तो ऐसी परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ, जिला पदाधिकारी, भागलपुर के प्रतिवेदन (पृष्ठ 219–206/प0) की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

संयुक्त सचिव